बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या–17/एल 1–35/2017– 578(17)/पटना, दिनांक– 16/10/17

डा० बांके बिहारी सिंह, सह प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को अपनी पुत्री से मिलने हेतु दिनांक–**19.10.2017 से 05.12.2017** तक लंदन (विदेश) की यात्रा के लिए निम्न शर्तों के साथ स्वीकृति/अनुमति प्रदान की जाती है।

1. डा० सिंह, विदेश प्रवास के समय अपने पेशे से संबंधित अथवा किसी प्रकार का कार्य धनोपार्जन हेतु नहीं करेंगे।
2. डा० सिंह, इस यात्रा में होने वाले सम्पूर्ण व्यय का वहन निजी श्रोत से करेंगे।
3. डा० सिंह, विदेश जाने से पूर्व विदेश प्रवास की अवधि में अपने कार्यों के निष्पादन की व्यवस्था कर ही विदेश के लिए प्रस्थान करेंगे।
4. डा० सिंह, को उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् तुरंत वापस लौटकर पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लेना होगा, अन्यथा सेवा शर्तों के अधीन दंड के भागी होंगे।
5. डा० सिंह, विदेश यात्रा से लौटने के पश्चात् अपने पार–पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।
6. इस यात्रा अवधि का विनियमन उनको देय अवकाश से स्वीकृत किया जायेगा।

ह०/– 16/10/17
(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–17/एल 1–35/2017– 578 (17)/ **/पटना, दिनांक–** 16/10/17

प्रतिलिपि :–महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया/डा० बांके बिहारी सिंह, सह प्राध्यापक, शिशु रोग विभाग, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/– 16/10/17
सरकार के विशेष सचिव।

D/Vibha ji/Passport